फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर (द्वितीय), जयपुर

राजस्व वाद संख्या : 12 / 2024

उनवान:– सोनू बनाम अशोक व अन्य

पत्रावली आज दिनांक 25.01.2024 को पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। कार्यालय रिपोर्ट होकर प्राप्त हो चुकी है। दावा दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादीगण की तामील हेतु नोटिस (रजिस्टर्ड एडी) जारी हो। वास्ते तलबी दिनांक 20.02.2024 को पेश करें।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

आज दिनांक 20/2/24 को पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक [illegible] कलक्टर, [illegible] सहकार [illegible] होने के कारण, न्यायालय [illegible] वकील सी.ओ.स. [illegible] है। अतः पत्रावली पुनः दिनांक 1/3/24 को पेश हो।

01/03/24 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। अर्थी/वादी द्वारा प्रार्थना पत्र मय दावा निरस्त करने हेतु पेश किया गया। वादी ने ऑडरशीट पर अपने हस्ताक्षर अंकित किये जिसकी पहचान Com. वादी अधिवक्ता ने किया। जब वादी खुद वाद को आगे नहीं चलाना चाहते है तो वाद को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। वादी का वाद बिना हर्जा खारिज किया जाता है। पत्रावली को नस्ती होकर दाखिल दफ्तर हो। जिसकी आज दिनांक 01/03/24 को सरे इजलास सुनाया गया।

सोनू बैरवा

1/3/24

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner